

मौजूदा रिपोर्ट हेतु तदधीनकार रायपुर को डिप्लोमा जारी  
पत्रावली वास्तु जवाब एवं मौजूदा रिपोर्ट के दिनांक  
18/12/19 को पेश हो।

18/12/19

पत्रावली पेश करने पर उपस्थित  
है/पीतादि... अवकाश में  
होने/अन्य... में व्यस्त  
होने/अन्य... को प्रार्थन से

पत्रावली वास्तु... जवाब... मौजूदा रिपोर्ट  
दिनांक 25/12/20 को पेश हो।  
25/12/20

25/12/2020

पत्रावली पेश हुई तदधीनकार रायपुर द्वारा

प्र०स 14/2017  
2017/00218

जवाब पत्रावली में सलोक के विपक्षी सरंजा  
1 व 3 के विरुद्ध दिनांक 6.12.2017 को एक तरफ  
कार्रवाई का निर्णय हो चुका है। पार्थी की  
ओर से आवेदन भी बहस हुनी गयी,  
बहस में आवेदन द्वारा मुख्य कचरा सिपा के  
पार्थी के नाम दर्ज भूखे साबिक नमशा रफा -  
नकीर नझा में दर्ज करायी जावे तथा पार्थी पर  
स्वीकार जलजावे।

मेम पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकार्ड  
जमावदी साबिक नझा - नकीर नझा व सिलार  
अंशजाल का अवलोकन तथा विपक्षी कृतांक 2  
तदधीनकार रायपुर के जवाब पर कचरा सिपा

प्रकरण सं. 14/2017 (2017/00218)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

पुरवशज मसजद 1/5 च्यन्नी देवी तेली मी आशाहोली

तो पाया कि प्राची की आराजी नम्बर को  
नवीन नू प्रवश्य के दौरान गलत रूप से दर्ज कर दी  
जिसका संशोधन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीना स्वीकार कर  
आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली मी  
नवीन आराजी रकमरा नम्बर 2586 का रकवा  
0.3600 हेक्टर के बजाय नवीन रूप से आराजी  
नम्बर 2586 रकवा 0.0900 हेक्टर एवं आराजी  
रकमरा नम्बर 2589 का रकवा 0.0900 के बजाय  
नवीन रूप से आराजी 2589 रकवा 0.3600 हेक्टर  
दर्ज किया जावे इसी आधुनिक राजस्व रेकार्ड  
दर्ज हो, पालनार्थी लक्ष्मीलदर रामपुर को  
हुक्मनामा जारी हो. पत्रावली फेसल शुमार  
होकर नम्बर से काम हो।

(सुन्दरलाल काकोडा)  
RAs

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रामपुर (बीलवाडा)

